**संख्या-198/2015/473जेपीआर/22-3-15-200(2)/2015टीसी-।**

**प्रेषक,**

**आर0के0 द्विवेदी,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**वरिष्ठ अधीक्षक,**
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 08 जुलाई, 2015***

**विषय-** आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-169/2015/1646जेएल/22-3-14-200(2)/2015, दिनांक 12-06-2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में 57 बंदियों को 15 दिन के गृह अवकाश की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में सम्मिलित बंदियों में से निम्नलिखित 07 बंदियों को पूर्व स्वीकृत गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| क्र.स. | बंदी एवं उसके पिता का नाम | जनपद का नाम | बंदी संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | छोटेलाल पुत्र श्री परमेश्वर | बहराइच | 13601 |
| 2 | कन्हैया लाल पुत्र श्री नन्हकऊनू | उन्नाव | 16052 |
| 3 | रामचन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ | सोनभद्र | 16065 |
| 4 | बेचन पुत्र श्री रामलखन | सानभद्र | 16066 |
| 5 | ओम प्रकाश पुत्र श्री सुन्दरलाल | सीतापुर | 14815 |
| 6 | बाबू पुत्र श्री जफ्फू | हरदोई | 14759 |
| 7 | खुन्नू पुत्र श्री मोल्हे | बहराइच | 13697 |

**भवदीय,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

**संख्या-198/2015/473जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

**आज्ञा से,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in